रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112022-240241
CG-DL-E-14112022-240241

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5034] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944
No. 5034] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

का.आ. 5253(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के अधिसूचना तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 2930 (अ), तारीख 18 दिसंबर, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के लगभग 100 किलोमीटर के पूर्ण जल-विभाजक क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में 4179.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए अधिसूचित किया और उसके द्वारा उक्त जोन में क्रियाकलापों की कुछ श्रेणियों को प्रतिषिद्ध, विनियमित या अनुज्ञात किया;

और, भागीरथी पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बेहतर पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उक्त अधिसूचना का और संशोधन की आवश्यकता पर पणधारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) उपबंध करता है कि उप-नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कहीं केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना जनहित में है, वहां वह पूर्वोक्त नियम के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से छूट दे सकेगी;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की उक्त अपेक्षा से छूट देना जनहित में है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, —

i. पैरा 2 के, —

(क) उप-पैरा (1) में, "पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार" शब्दों के स्थान पर, "राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-पैरा (9) को हटाया जाएगा:

ii. पैरा 3 के, —

(क) उप-पैरा (ख) में खंड (xvii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगें, अर्थात्: - "(xviii) पुनर्निर्माण, आपदा शमन, सिंचाई वृध्दि, अस्पतालों, स्कूलों, खाद्य गोदामों और अन्य सामाजिक बुनियादी ढांचों से संबंधित कार्य।";

(ख) उप-पैरा (ग) में, खंड (viii) को हटाया जाएगा।

[फा.सं. 25/3/2010-ईएसजेड]

तन्मय कुमार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (ii) में का.आ.सं. 2930(अ), तारीख 18 दिसंबर, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ.सं. 1656(अ), तारीख 16 अप्रैल, 2018 द्वारा संशोधित की गई थी;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2022

S.O. 5253(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.2930(E), dated the 18th December, 2012 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government notified entire watershed area of about 100 kilometres stretch of the river Bhagirathi from Gaumukh to Uttarkashi covering an area of 4179.59 square kilometres as the Eco-sensitive Zone and thereby prohibiting, regulating or permitting certain categories of activities in the said Zone;

And Whereas, representations have been received from stakeholders on the need for further amendment of the said notification for ensuring better environmental protection in the Bhagirathi Eco-sensitive Zone;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that notwithstanding anything contained in sub-rule (3), wherever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the aforesaid rule;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the said requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the aforesaid rules for amending the said notification.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) read with clause

(v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the aforesaid notification, namely:–

In the said notification,–

i. In paragraph 2,–

a. in sub-paragraph (1), for the words "Ministry of Environment and Forests, Government of India", the words "Competent Authority of the State Government" shall be substituted;

b. sub-paragraph (9) shall be deleted:

ii. in paragraph 3,-

a. in sub-paragraph (b) after clause (xvii) , the following clause shall be inserted , namely:- "(xviii) Works related to re- construction, disaster mitigation, lift irrigation, hospitals, schools, food godowns and other social infrastructures.";

b. in sub-paragraph (c), clause (viii) shall be deleted.

[F. No. 25/3/2010-ESZ]

TANMAY KUMAR, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section-3, Sub-Section (ii) vide S.O. No. 2930(E) dated the 18th December, 2012 and amended by S.O. 1656 (E), dated the 16th April, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.11.14 16:25:47 +05'30'